प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2819/2016

मणि राम बैगा, पिता पंच राम बैगा, आयु लगभग 52 वर्ष, पटवारी(निलंबित), खिरागढ़, निवासी नरघोड़ा, तहसील मस्तूरी, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़

...... याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला । रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग, रायपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर 4, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

...... उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अमृतो दास और श्री यशकरण सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगणों की ओर से : श्री रणबीर सिंह मरहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

{माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल]

पीठ पर आदेश

13/12/2024

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (सामाजिक स्थिति प्रमाणन का विनियमन) अधिनियम, 2013 (संक्षेप में, '2013 का अधिनियम') के साथ पठित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (सामाजिक स्थिति प्रमाणन का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 19, ((संक्षेप में, 2013 के नियम '), की धारा 7 के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की वैधता, विधिमान्यता और शुद्धता पर सवाल उठाया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20-6-1983 को अमान्य कर दिया गया है।

2. उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर दी गई है:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत पटवारी के पद पर दिनांक 7-9-1986 को नियुक्त किया गया था क्योंकि यह रिक्ति एक अनारक्षित उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण हुई थी, हालांकि वह अनुसूचित जनजाति है। याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र की वैधता से संबंधित एक शिकायत पर, उन्हें दिनांक 09-01-2001 को निलंबित कर दिया गया और अंततः, दिनांक 09-04-2014 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए मामला उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति को भेज दिया और अंततः, उक्त समिति के सतर्कता प्रकोष्ठ ने दिनांक 07-10-2015 को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की और याचिकाकर्ता को दिनांक 05-11-2015 को कारण बताओं नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ता दिनांक 31-03-2016 को समिति के समक्ष भी उपस्थित हुआ और अंततः, उसकी जाति के संबंध में दिनांक 03-05-2016 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिससे उसका जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो गया। याचिकाकर्ता का मामला यह भी है कि 2013 के नियमों के नियम 19 के साथ

पठित 2013 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, पांच बहु-सदस्यीय समिति का गठन किया जाना है, फिर भी, जिस समिति ने आक्षेपित निर्णय लिया है, उसका विधिवत गठन नहीं किया गया था क्योंकि समिति के अध्यक्ष, जो आदिमजाति प्रशासन और प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के निदेशक भी हैं, ने भी उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया है, जबकि उन्हें उक्त हैसियत से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था और इसलिए आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

3. राज्य/उत्तरवादीगणों के द्वारा जवाबदावा दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करना विधि के अनुसार है और इस प्रकार, रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतो दास का तर्क है कि 2013 के अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित 2013 के नियमों के नियम 19 के अनुसार अधिसूचना जारी की गई है और वैधानिक अधिसूचना के अंतर्गत पांच बहु-सदस्यीय समिति होनी चाहिए जो समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वैधानिक शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है और समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की दोहरी हैसियत में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उक्त अधिसूचना द्वारा गठित बहु-सदस्यीय समिति का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और इससे अधिसूचना का पालन नहीं होगा। उन्होंने आगे तर्क किया कि अधिसूचना दिनांक 22-8-2013 का पालन न करना भेदभाव से ग्रस्त है और 2013 के अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया गया है जिसके गंभीर सिविल परिणाम हैं और उक्त समिति द्वारा पारित आदेश केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही के अधीन

है, इसलिए, समिति का गठन अधिसूचना दिनांक 22-8-2013 के अनुसार होना चाहिए, इसलिए, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5. राज्य/उत्तरवादीगणों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री रणबीर सिंह मरहास का तर्क है कि इस प्रकार गठित समिति ने याचिकाकर्ता के मामले पर विधि के अनुसार विचार किया है और केवल इसलिए कि समिति के अध्यक्ष ने भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की दोहरी हैसियत में भाग लिया है, यह याचिकाकर्ता के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा, विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने पूरी कार्यवाही में भाग लिया है और इस संबंध में उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई है और इसलिए रिट याचिका खारिज करने योग्य है और आक्षेपित आदेश को यथावत रखा जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और ऊपर दिए गए उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को भी अत्यंत सावधानी के साथ अवलोकन किया ।

7. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने **(199 माधुरी पाटिल और एक अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय** विकास और अन्य[1], के मामलें में सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, सभी राज्य सरकारों को तीन अधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है, अर्थात् (1) एक अतिरिक्त या संयुक्त सचिव या संबंधित विभाग के निदेशक के पद का कोई उच्च अधिकारी, (2) निदेशक, समाज कल्याण/जनजातीय कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण, जैसा भी मामला हो, और (3) अनुसूचित जातियों के मामले में एक अन्य अधिकारी जिसे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन और जारी करने में गहरी जानकारी है।अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अनुसंधान अधिकारी जिसे जनजातियों, जनजातीय समुदायों, जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्सों या समूहों की पहचान करने में अंतरंग ज्ञान है।

1 (1994) 6 SCC 241

8. इसके बाद, 2013 का अधिनियम राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया था, जो धोखाधड़ी से गलत सामाजिक स्थिति प्रमाणन प्राप्त करते हैं, यह प्रमाणित करते हुए कि व्यक्ति आबादी के इन वर्गों से संबंधित है, जो 29-4-2013 से लागू हुआ था। अधिनियम की धारा 7 उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति या समितियों का गठन करेगी, जो धारा 6 के अंतर्गत या राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा संदर्भित सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों की जांच करेगी और यह उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति का कर्तव्य होगा कि वह जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति की प्रतिवेदन की जांच करे और अधिनियम के अध्याय 4 के अंतर्गत निर्धारित मामले में आगे बढ़े, और यह ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जाए। हालाँकि, 2013 के अधिनियम की धारा 8 में फर्जी सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र को निरस्त करने और जब्त करने का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि यदि अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत जांच के बाद, उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति की राय है कि सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र गलत तरीके से या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया का पालन करके प्रमाणपत्र को निरस्त और जब्त कर लेगी जो निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार, सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र को निरस्त करने या जब्त करने से उस व्यक्ति की स्थिति पर भारी सिविल परिणाम होते हैं, जिसका जाति प्रमाण पत्र विचाराधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. 2013 के अधिनियम की धारा 7 (1) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निम्नानुसार उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति का गठन किया है।-

क्र.	समिति में नामांकित अधिकारीगण	अध्यक्ष/सदस्य
1.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त / संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग., रायपुर	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग., रायपुर	सदस्य सचिव
4.	आयुक्त/संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ संयुक्त संचालक / उप संचालक/उप संचालक / सहायक संचालक / अनुसंधान अधिकारी / सहायक अनुसंधान अधिकारी में से, नामांकित दो अधिकारी	सदस्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार, दिनांक 22-8-2013 की अधिसूचना के आधार पर, यदि किसी सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र पर सवाल उठाया जाता है, तो इस प्रकार गठित

समिति द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें (1) प्रधान सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, जनजातीय और अनुसूचित जाति विकास, अध्यक्ष होने के नाते; (2) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर उपाध्यक्ष होने के नाते; (3) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय और अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर सदस्य सचिव होने के नाते; और (4) जनजातीय में पदस्थ संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी के बीच दो अधिकारी शामिल हैं। जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के आयुक्त/निदेशक द्वारा नामित अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर सदस्य हैं।

11. यह अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि यदि कोई संविधि किसी काम को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य तरीके से। (देखें; **चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद और अन्य**[2])।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. **टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर**[3] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह आवश्यक है कि संविधि किसी काम को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य तरीके से और यदि उस तरीके से नहीं किया जाता है तो विधि की नजर में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सीमा शुल्क अधिकारी किसी विशेष निर्धारिती के कार्यों के आधार पर विधि का पालन करने से मुक्त नहीं हैं। ऐसा कार्य जो अवैध है वह किसी तीसरे व्यक्ति के कार्य द्वारा खुद को किसी विधिक चीज़ में परिवर्तित नहीं कर सकता है।

13. हालाँकि, पाँच बहु-सदस्यीय समिति के गठन के उद्देश्य पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव और एक अन्य बनाम महेंद्र**

2 (1999) 8 SCC 266

3 (2015) 11 SCC 628

गुप्ता और अन्य[4] के मामले में विचार किया गया और यह अवधारित किया गया है कि बहु-सदस्य निकाय बहस, परामर्श और चर्चा के बाद इसके कार्य का प्रबंध करता है और कंडिका 15 में निम्नानुसार अवधारित किया:-

> "15. बहु-सदस्य निकाय बहस, परामर्श और चर्चा के बाद अपना कार्य का प्रबंध करता है। बहु-सदस्य निकाय के विचार सर्वसम्मति से या मतों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। बहु-सदस्य निकाय द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णयों की स्वीकृति के लिए विशेष बहुमत भी प्रदान किए जाते हैं। आम तौर पर, एक बहु-सदस्य निकाय के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय से व्यक्त किए जाते हैं, सिवाय इसके कि विधि में ही विशेष बहुमत प्रदान किए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इसी प्रकार, **एस. एस. धनोआ बनाम भारत संघ और अन्य**[5] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो सिर एक से बेहतर हैं, लेकिन यह आवश्यक और वांछनीय दोनों है कि शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, हालांकि, वह सर्वज्ञानी हो सकता है। यह निम्नानुसार अवधारित किया गया हैः-

> "26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो सिर एक से बेहतर होते हैं, और विशेष रूप से जब चुनाव आयोग जैसी संस्था को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं, और उन्हें निष्पादित करने के लिए अनन्य अनियंत्रित शक्तियों से लैस होता है, तो यह आवश्यक और वांछनीय दोनों है कि शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, हालांकि, वह सर्वज्ञानी हो सकता है। यह लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यह सच है कि किसी संस्थान की स्वतंत्रता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती

---

4 (2018) 3 SCC 635

5 (1991) 3 SCC 567

है जो इसे संचालित करते हैं, न कि उनकी संख्या पर। एक एकल व्यक्ति कभी-कभी सभी खिंचावों और दबावों का सामना करने में सक्षम साबित हो सकता है, जो कई लोग नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, जब किसी संस्था द्वारा विशाल शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो अपने मामलों को एक से अधिक हाथों में सौंपना राजनीतिक है। यह विवेक और मनमानेपन की कमी को सुनिश्चित करने में मदद करता है। हालांकि, तथ्य यह है कि जहां एक से अधिक व्यक्ति, एक संस्थान का संचालन करते हैं, उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, अगर संस्थान के कामकाज को शून्य नहीं होना है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अजीत प्रमोद **कुमार जोगी बनाम उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति और अन्य**[6] के मामले में इस न्यायालय की युगल पीठ ने 2013 के अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित अधिसूचना दिनांक 22.8.2013 के अंतर्गत समिति के गठन पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित कि यह पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है, न कि केवल प्रक्रिया को और निम्नानुसार अवधारित किया:-

"17.''समिति' को लोगों के समूह के रूप में समझा जाता है। इसे कार्यालयों के एक समूह के रूप में नहीं समझा जा सकता है जो एक व्यक्ति द्वारा संचालित होते हैं। हम यह इस तथ्य के संदर्भ में कहते हैं कि एक विशेष व्यक्ति ने जनजातीय और अनुसूचित जनजाति विकास के विशेष सचिव, जनजातीय और अनुसूचित जनजाति विकास आयुक्त और जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक का पद संभाला था। याचिकाकर्ता की इस दलील को दरकिनार करते हुए कि उन पदों पर आसीन तीन व्यक्तियों का स्थानांतरण कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को निष्पक्षता से वंचित करने के बाहरी और

6 2018 SCC Online Chh 114

अप्रत्यक्ष उद्देश्य से एक व्यक्ति को तीनों पदों का प्रभारी बनाया गया था, हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों का गठन एक समिति के रूप में आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/1 आदेश जारी करते हुए दिखाया गया है, वह भी एक वैधानिक समिति के स्थान पर, वास्तविक और सच्चे न्याय के सिद्धांतों को शोभा नहीं देता है। इससे संस्थागत मनमानेपन की गंध आती है जो रिट याचिका में लगाए गए विभिन्न आरोपों से भरा हो सकता है।

16. समिति के गठन के प्रावधान और इस संबंध में सुसंगत निर्णयों पर विचार करने के बाद, वर्तमान मामले में समिति के गठन पर ध्यान देना उचित होगा, जिसने याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने का आदेश पारित किया है, जो निम्नानुसार हैः-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(राजेश सुकुमार टोप्पो) सदस्य सचिव जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति एवं आयुक्त, आ. जा तथा अनु. जाति विकास, रायपुर (छ.ग.)	(आशीष कुमार भट्ट) उपाध्यक्ष जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति एवं संचालक, आदिम जाति अनु. एवं प्रशि. संस्थान, रायपुर (छ.ग.)	(आशीष कुमार भट्ट) उपाध्यक्ष जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति एवं सचिव, छ.ग. शासन आ.जा तथा अनु. जाति विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.)

(जी.एम. झा) सदस्य जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति एवं उपसंचालक, आ.जा अनु. एवं	(एन.एस राजपूत) सदस्य जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति एवं उपसंचालक, आ.जा अनु. एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ.ग.)

प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ.ग.)	

17. समिति के गठन के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि जनजातीय और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव श्री आशीष कुमार भट्ट ने समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के रूप में दोहरी हैसियत में काम किया है, जो विधि में अस्वीकार्य है, क्योंकि एक व्यक्ति को दोहरी हैसियत में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि, अन्य सदस्यों का गठन और कार्य विधि के अनुसार किया गया प्रतीत होता है। ऐसी ही स्थिति में जहां राज्य के एक अधिकारी ने एक ही संव्यवहार के संबंध में अलग-अलग हैसियतओं में कार्य किया में, सर्वोच्च न्यायालय माननीय न्यायाधीशों ने **राजेन्द्र शंकर शुक्ल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**[7]**,** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक प्राधिकारी से एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग को लागू करने की अपेक्षा की जाती है और माननीय न्यायाधीशों द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य द्वारा सरकार चलाने के लिए अपने लोगों में विश्वास और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की न्यूनतम आवश्यकता होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हालांकि 2013 के अधिनियम की धारा 7 के आधार पर, अधिसूचना दिनांक 22-8-2013 जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए-एक प्रधान सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ सरकार, जनजातीय और अनुसूचित जाति विकास विभाग और दूसरा आयुक्त/निदेशक, जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर, लेकिन वे दोनों एक और समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समिति को उस व्यक्ति की जाति की स्थिति पर विचार करने और सत्यापित करने के लिए व्यापक शक्ति प्रदान की गई है जिसके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित

7 (2015) 10 SCC 400

कर दिया गया है और जिसके गंभीर और कठोर सिविल परिणाम हैं। अतः, एक व्यक्ति को दोहरी हैसियत अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह **महेंद्र गुप्ता (पूर्वोक्त) और एस. एस. धनोआ (पूर्वोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विपरीत है क्योंकि समिति तार्किक बहस, परामर्श और चर्चा से वंचित हो जाएगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे प्रमुख पद पर एक और वही व्यक्ति कार्य करता है और समिति के दो अन्य सदस्य जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी है और इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. नतीजतन, उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 3-5-2016 (अनुलग्नक पी-1) को एतद्द्वारा द्वारा निरस्त दिया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामला को विधि के अनुसार नए सिरे से विचार करने और आदेश पारित करने के लिए विधिवत गठित समिति को भेजा जाता है।

20. रिट याचिका को ऊपर बताए गए सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही /-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur